

कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

क्रमांक:-ई-मेल

दिनांक:-07.04.2021

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषय:- सीएम हैल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में।

प्रसंग:- सीएम हैल्पलाईन संख्या 12203719157141 दिनांक 30.03.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सी.एम. हैल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (उत्तर) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट परिवाद के संबंध में परिवादी से वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि यह शिकायत मैने थाने को भेजी है मेरी शिकायत यातायात पुलिस से सम्बन्धित नहीं है सम्बन्धित को भिजवा दो। यातायात पुलिस जयपुर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)
नोडल अधिकारी यातायात जयपुर